

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – नून्दीमेन्द्रातान

श्री मंगला व अन्य बनाम श्री पेमा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

आदेश

दिनांक 31.5.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोर्ट नून्दीमेन्द्रातान में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं, उक्त प्रकरण दिनांक 12.12.2017 को इस न्यायालय द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज फरमा दिया गया है। चूंकि प्रकरण राजस्व प्रकृति का है, इस कारण वादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा यही हिदायत दे रखी थी कि हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जब भी आवश्यकता होगी तब उन्हें बुलवा दिया जायेगा। जबकि अन्य वादीगण की ओर से वादी भैरूसिंह द्वारा ही पैरवी की जा रही थी दिनांक 11.01.2018 को वादी भैरूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण वादी स्व० श्री भैरूसिंह के दाह संस्कार एवं अन्य सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे थे। वादीगण ने कुछ दिन पूर्व जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्हें जानकारी हुई कि उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज फरमा दिया गया है। वादीगण ने प्रकरण में अपना अधिवक्ता नियुक्त किया तथा दिनांक 28.02.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर नये अधिवक्ता को पत्रावली का अवलोकन कराने के पश्चात अब मौजूदा प्रार्थना पत्र बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद रेस्टोर किये जाने से प्रतिवादीगण के अधिकारों पर अथवा प्रकरण की प्रकृति पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि प्रत्येक पक्षकार के साथ न्याय हो सकेगा। न्याय की मंशा भी प्रत्येक प्रकरण में प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये दोनों पक्षकारों को सुनकर ही गुणावगुण पर निस्तारण करने की है, इस कारण भी उक्त वाद को रेस्टोर करते हुये दानो पक्षकारान को सुनकर ही गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है, तथा उक्त दिनांक 28.02.2018 को नकल लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई है। तथा जो विलम्ब हुआ है वह उपरोक्त कारणों की वजह से हुआ है, अतः उक्त विलम्ब को क्षमा किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्टोर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा वाद को पुनः उसी नंबर पर रेस्टोर किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली केंप कोर्ट नून्दी मेन्द्रातान में प्रस्तुत हुई अप्रार्थी नैनूसिंह व मोहनसिंह उपस्थित अप्रार्थी नैनूसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को नकारते हुये कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद में निरन्तर लगातार प्रभावी कार्यवाही नहीं करने व न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को आदेश 17 नियम 3 जाब्ता दीवानी के तहत न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। वादीगण द्वारा जानबूझकर उक्त प्रकरण जो कि वर्ष 1999 से पिछले 19 साल से विचाराधीन चला आ रहा है, जिसमें वादीगण जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उक्त प्रार्थना पत्र केवलमात्र भैरूसिंह के वारीसान द्वारा प्रस्तुत किया गया है,

.....लगातार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर




शेष वादीगण संख्या 1/2 लगायत 1/7 वादी संख्या 2 लगायत 11 द्वारा प्रकरण में ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है, और ना ही उनका कोई शपथ पत्र पेश है, इस कारण उपरोक्त वर्णित वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरुद्ध कोई भी अनुतोष नहीं चाहा गया है, इस कारण केवलमात्र उपरोक्त वादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से भी सव्यय खारीज किया जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित खारीज किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण इस न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.12.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जा चुका है, प्रार्थीगण के यह कथन कि उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण में उपस्थित होने की जानकारी नहीं दी गई एवं प्रकरण में अन्य अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.02.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त किये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी में खारीज किया जा चुका है, उक्त प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्यो अंकित किये है, उसके विषयक कब नकल प्राप्त की, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अंतिम पृष्ठ पर केवलमात्र वादी इन्द्रसिंह के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत किया जाना पाया गया एवं अन्य प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया। जबकि उक्त प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को खारीज किया जा चुका है। उसके लिये प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने बाबत् मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली के अवलोकन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट नून्दी मेन्द्रातान में खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
(सुखराम खाखर)
ब्यावर
आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

